

हाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना  
हाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुगत  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.  
वि.पू.पु. भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिप्टीजन  
म. प्र-108 भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2006—वैशाख 29, शक 1928

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2006

क्र. 3159 एफ आर एस.-18-2002-तेरह—“मध्यप्रदेश राजपत्र”, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत संधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 के नियम 6 के उप नियम (8) के खण्ड (ग), नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ख), उप नियम (10), उप नियम (11), नियम 10 के उप नियम (1), नियम 12 के उप नियम (1) तथा नियम 13 के उप नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र”, दिनांक 31 मई, 2005 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश क्रमांक 3679-एफ.आर.एस.-18-तेरह-2002, दिनांक 31 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में, खण्ड 1 (क) में, शब्द “बारह मास”, जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द “अठारह मास” स्थापित किए जाएं.

No. 3159-FRS-18-2002-XIII.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-rule (8) of rule 6, clause (b) of sub-rule (2), sub-rule (10), sub-rule (11) of rule 7, sub-rule (1) of rule 10, sub-rule (1) of rule 12 and sub-rule (2) of rule 13 of the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003, published in “Madhya Pradesh Gazette” dated 30th September, 2003, the Government of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this Department's Order No. 3679-FRS-18-XIII-2002, dated 31st May, 2005, published in the “Madhya Pradesh Gazette” dated 31st May, 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said Order, in clause 1 (a), for the words “Twelve Months”, wherever they occur, the words “Eighteen Months” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. अग्रवाल, अपर सचिव.